



मुल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारी:— चम्पालाल जीनगर, RAS

बगदीराम चमार आदि

उनवान

बनाम

धरमचन्द चमार वगैराह

दावा बाबत:— घोषणा एवं बंटवारा बाबत।

मुकदमा नम्बर:— 117/2014 वाद

निर्णय दिनांक:— 27.02.2018

लोक अदालत कैम्प कोर्ट मिण्डाना में दिनांक 09.06.2015 को इस वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने दिनांक 14.07.2017 को फर्द विभाजन प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:—

1— धरमचन्द, रमेश, किशन पिता बद्रीलाल, मु. रूकमण बाई पत्नी बद्रीलाल, मु. हगामी बाई पत्नी वरदा चमार के रहेगी:—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
745 पश्चिम	0.1200	2.28
905 पश्चिम	0.1100	3.35
928	0.1800	0.90
929	0.3000	5.70
930	0.3800	7.22

कुल किता 1.0900 हैक्टेयर कुल रकबा 19.45 रूपये

2— बगदराम, जगदीशचन्द्र, नक्षत्रमल पिता भगवाना चमार, दाखी बाई पत्नी भगवाना चमार सा. देह—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
739	0.0900	1.71
745 पूर्व	0.1200	2.28
905 पूर्व	0.1100	3.36
921	0.0400	1.02
933	0.1400	2.66
934	0.6000	11.40

कुल किता 6 कुल रकबा 1.1000 हेक्टेयर कुल लगान 22.43 रूपये

आराजी नं. 931 रकबा 0.0200 हेक्टेयर तथा आराजी नं. 932 रकबा 0.0400 गे.मु. चाह बदस्तुर शामलाती खाते में रहेगी।

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 27.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(चम्पालाल जीनगर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा